



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240341
CG-DL-E-16112022-240341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5119]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2022/कार्तिक 25, 1944

No. 5119]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022/KARTIKA 25, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

(आय-कर)

का.आ. 5345(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयंभू धन निधि अर्थात् पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट फंड (पैन: AAAJP1787D) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “निर्धारिती” कहा गया है) को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व भारत में किए गए निवेशों (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त निवेश” कहा गया है) के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

- (i) निर्धारिती, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली तारीख, जिसको उक्त निवेश किए गए हैं, से उस तारीख, जिसको निवेश परिसमाप्त किए गए हैं, में आने वाले सभी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा।

- (ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपनी लेखाबहियों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट किसी लेखपाल से करवाएगा और इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुबंध में दिए गए प्रारूप में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 - (iii) निर्धारिती एक त्रैमासिक विवरण, प्रत्येक तिमाही के अंत से एक मास के भीतर, परिपत्र सं. 2020 का 15, तारीख 22 जुलाई, 2020 से उपाबद्ध प्रारूप 2, जिसे वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कर नीति और विधान प्रभाग) द्वारा फा.सं. 370142/26/2020-टीपीएल द्वारा जारी किया गया था, में उक्त तिमाही के दौरान किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में इलेक्ट्रानिकी रूप में जारी करेगा।
 - (iv) निर्धारिती ऐसे निवेशों, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए अर्हित हैं, के संबंध में आय और व्यय का खंडवार लेखा रखेगा।
 - (v) निर्धारिती का सऊदी अरब साम्राज्य की सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व में रहना और नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा और निर्धारिती पर, किसी भी समय, किसी और व्यक्ति का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
 - (vi) निर्धारिती का सऊदी अरब साम्राज्य की सरकार के कानून के अधीन विनियमित होना जारी रहेगा।
 - (vii) निर्धारिती के उपार्जनों का या तो सऊदी अरब साम्राज्य की सरकार के खाते में या उस सरकार द्वारा मनोनीत किसी अन्य खाते में प्रत्यय किया जाएगा ताकि भारत में निवेश करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण लिया या उधार [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड (23 चड) के स्पष्टीकरण -2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में अभिप्रेत है] के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किसी संदाय के सिवाय उपार्जनों के किसी भाग को किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।
 - (viii) निर्धारिती के पास भारत में निवेश करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई ऋण या उधार [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड (23 चड) के स्पष्टीकरण -2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में अभिप्रेत है] नहीं होगा;
 - (ix) निर्धारिती की आस्ति विघटन पर भारत में निवेश करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण या उधार के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किसी संदाय को छोड़कर सऊदी अरब साम्राज्य की सरकार में निहित होगी; और
 - (x) निर्धारिती निवेश प्राप्तकर्ता [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड 23(चड) के स्पष्टीकरण -2 के खंड (i) में अभिप्रेत है] के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग नहीं लेगा परंतु निवेश प्राप्तकर्ता के साथ निवेश की संरक्षा के लिए मॉनीटरी तंत्र को, जिसमें निदेशक या कार्यपालक निदेशकों को नियुक्त करना सम्मिलित है, निवेश प्राप्तकर्ता के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं समझा जाएगा।
 - (xi) निर्धारिती का निवेश अधिनियम की धारा) के खंड 1023 चड) खंड-के उप (ii) के तहत यथा अपेक्षित कम से कम तीन वर्षों के लिए धारित रहेगा।
2. आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन निर्धारिती को कर छूट से अयोग्य ठहराएगा।
 3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अधीन छूट का दावा करने वाली स्वयंभू धन निधि द्वारा फाइल की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भाग - I

*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (निर्धारिती की स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या सहित नाम और पता), जिनके व्यौरे भाग II में दिए गए हैं, की कानूनी लेखापरीक्षा अधिसूचना सं. तारीख, जो राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, की अपेक्षाओं के अनुसार, *मेरे/हमारे/मैसर्स द्वारा संचालित की गई थी।

2. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा लेखा बहियों की जांच के अनुसार, जिसके अंतर्गत सुसंगत दस्तावेज *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण भी हैं, यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारिती ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) में उल्लिखित सभी शर्तों और निर्धारिती को उक्त खंड (23चड) के अधीन छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए स्वयंभू धन निधि के नाते निर्धारिती को विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना में उपबंधित सभी शर्तों का अनुपालन *किया है/ नहीं किया है।

2.1 *वह शर्तें, जिनका निर्धारिती ने अनुपालन नहीं किया है, नीचे दिए अनुसार हैं:

(क).....

(ख).....

3. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और लेखा बहियों की परीक्षा, जिसके अंतर्गत *मुझे/हमें दिए गए सुसंगत दस्तावेज और स्पष्टीकरण हैं, भाग II में दिए गए ब्यौरे निम्नलिखित पर्यवेक्षणों, अर्हताओं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए सत्य और सही हैं, अर्थात् :-

(क).....

(ख).....

भाग 2

1. निर्धारिती का नाम :
2. पैना/आधार :
3. पूर्व वर्ष :
4. पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय :
5. अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की कुल रकम (सारणी 11 की मद सं. 6 के अनुसार ब्यौरे) :
6. किए गए निवेश का अथशेष (अर्थात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अतिशेष), जो धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट ----- (रु. में) के लिए पात्र है, और अवधि के दौरान स्वयंभू धन निधि (एसडब्ल्यूएफ) द्वारा किए गए निवेश के ब्यौरे, निम्नानुसार हैं:

[illegible]

2.										
योग										

7. एसडब्ल्यूएफ ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व जिसको उक्त छूट के संबंध में निवेश किया गया है, किए गए किन्हीं निवेशों का विक्रय नहीं किया है/ एसडब्ल्यूएफ ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए कतिपय निवेशों का उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व जिसको उक्त छूट के संबंध में निवेश किया गया है, किए गए किन्हीं निवेशों का विक्रय किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है:

क्रम सं.	निवेश की तारीख	निवेश की प्रकृति (नोट 4)	आय की प्रकृति (नोट 5)	वर्ष के दौरान निवेश पर आय की रकम	उस सत्ता के ब्यौरे जिसमें निवेश किया गया है			विक्रय की तारीख
					सत्ता की प्रकृति (नोट 6)	नाम	पैन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
योग								

8. एसडब्ल्यूएफ अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्,-

क.	क्या एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे देश की सरकार के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में है	हां/नहीं
ख.	दूसरे देश की सरकार के नाम का वर्णन करें जिसके स्वामित्व और नियंत्रण में एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः है	
ग.	क्या एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे देश की सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है	प्रत्यक्षतः / अप्रत्यक्षतः
घ.	दूसरे देश की सरकार द्वारा अप्रत्यक्षतः एसडब्ल्यूएफ का स्वामित्व और नियंत्रण रखने की दशा में स्वामित्व की श्रृंखला के ब्यौरे	
ड.	उस कानून का नाम जिसके अधीन एसडब्ल्यूएफ की स्थापना की गई है और विनियमित किया जाता है	

च.	क्या उक्त निधि से अर्जनों का प्रत्यय या तो उस दूसरे देश की सरकार के खाते में किया जाता है या उस सरकार द्वारा मनोनित किसी अन्य खाते में किया जाता है जिससे अर्जनों के किसी भाग से किसी प्राईवेट व्यक्ति को कोई फायदा न हों सिवाय भारत में निवेश करने से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण या उधारों के किसी संदाय के लिए।	हां/नहीं
छ.	क्या उक्त निधि की आस्ति उस दूसरे देश की सरकार में विघटन के उपरांत सिवाय भारत में निवेश करने से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण या उधारों के किसी संदाय के लिए विहित हो जाएगी।	हां/नहीं
ज.	यदि (च) या (छ) का उत्तर नहीं है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. प्राईवेट व्यक्ति का नाम ii. वर्ष के दौरान प्रदान किए गए लाभ	
झ.	क्या वह अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 की खण्ड(i) में यथा परिभाषित किसी व्यक्ति जिसके लिए निवेश किया गया है, के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेता है, सिवाय वह व्यक्ति जिसके पास निवेश किया गया है, निवेश की संरक्षा करने के किसी तंत्र की मानीटरी करने के, जिसके अंतर्गत निदेशक या कार्यपालक निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है	हां/नहीं
ञ.	यदि (झ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. जिसके पास निवेश किया गया है, का नाम ii. जिसके पास निवेश किया गया है, का पैर iii. जिसके पास निवेश किया गया है, के पास वर्ष के अंत में निवेश की रकम	
ट.	क्या उसने उसके द्वारा भारत में किए गए निवेश के ब्यौरों की परिपत्र सं. 15/2020 तारीख 22.07.2020 द्वारा जारी प्रारूप सं. 2 में संसूचना की अपेक्षा की अनुपालना की है	हां/नहीं
ठ.	क्या उसके पास भारत में निवेश करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 की खण्ड(ii) में यथापरिभाषित ऋण या उधार है	हां/नहीं
ड.	यदि (ठ) का उत्तर हां में है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें: (i) उस व्यक्ति का नाम जिससे पैसा ऋण या उधार लिया गया है (ii) वर्ष के प्रारंभ में ऋण या उधार की रकम (iii) वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण या उधार की रकम (iv) वर्ष के दौरान पुनः संदत्त ऋण या उधार की रकम (v) वर्ष के अंत में ऋण या उधार की रकम	

द.	क्या ऐसे निवेश के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए अर्हित होता है, आय और निवेश के लिए पृथक खंडवार लेखा रखा गया है।	हां/नहीं
----	---	----------

स्थान :

तारीख :

** (हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता की स्टेप/मुहर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पूरा पता

सदस्यता सं.....

यूडीआईएन.....

नोट्स :

1. *जो लागू न हों, उसे काट दें।
2. **यह रिपोर्ट किसी अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखपाल द्वारा दी जानी है।
3. “जिसके पास निवेश किया गया है” का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में हैं और “ऋण और उधार” का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में हैं।
4. निम्नलिखित में से किसी एक कोड का चयन किया जाना है :

निवेश की प्रकृति	कोड
उधार	1
साम्य (इक्विटी)	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. निम्नलिखित में से किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

आय की प्रकृति	कोड
व्याज	1
लाभांश	2
पूंजी अभिलाभ	3
अन्य	4

6. निम्नलिखित में से किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

सत्ता की प्रकृति जिसमें निवेश किया गया है	कोड
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (क) में निर्दिष्ट कारोबार न्यास	1
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनी या उपक्रम या सत्ता	2
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट वैकल्पिक निवेश निधि	3
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट घरेलू कंपनी	4
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनी/ अवसंरचना ऋण निधि-एनबीएफसी	5

[अधिसूचना सं. 125 /2022 /फा. सं. 500/SWF2/S10(23FE)/FT&TR-II(Pt.1)]

अपूर्व तिवारी, अवर सचिव